

01  
22

प्राप्तकी पेश हुई पक्षकारान की तरफ से कोई  
 उपस्थित नहीं इस पणव न्यायालय लागत  
 अधीन कार्यकारी द्वारा वर्ष 2011 में रिजल्ट में  
 समन्वयक के निर्देश के निरस्त में रिजल्ट में  
 आकर पक्षकारान को न्यायालय में उपस्थित  
 होने का मत सिद्धित किया गया था किंतु  
 वर्ष 2011 से अब तक 11 वर्ष से अधिक का  
 समय व्यतीत होने के उपरान्त भी पक्षकारान  
 की तरफ से कोई पक्षकारान न कोई अधीन  
 उपस्थित हुए हैं प्रकरण को 11 वर्ष से  
 अधिक व्यतीत होने पर अनन्य न्यायालय  
 द्वारा पारित निर्णय को ~~प्रकार~~ पकना नहीं  
 होने से प्रकरण अग्रे चलाया जाना न्यायालय  
 प्रतीत नहीं होता है कल बाद दही स्तर पर  
 स्वयं किया जाता है प्राप्तकी अवसर से  
 फल की जाकर दायित्व दफतर हो

h